न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—246/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/246)

1. माणकचंद पुत्र छोगा जाति रेगर निवासी ग्राम नान्दला तहसील नसीरबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. अशोक पुत्र नारायण (फौत) जरिए वारिसान
   1/1 पूर्णिमा पत्नि अशोक
   1/2 नेहा पुत्री अशोक
   1/3 दीपशिखा पुत्री अशोक
   1/4 शिल्पा पुत्री अशोक
   1/5 मोहित पुत्र अशोक
2. कमला पुत्री सुवा उर्फ सवाई
3. राकेश पुत्र किशनलाल
4. फूलचंद पुत्र छोगा
5. बेबी पुत्री हजारी
6. बिल्ला पुत्री नारायण
7. मुन्नी पुत्री नारायण
8. मनोहर पुत्र नारायण
9. मीरा पुत्री सुवा उर्फ सवाई
10. मोतीलाल पुत्र सुवा उर्फ सवाई
11. रतन पुत्र नारायण
12. शारदा पुत्री नारायण
13. सुनिल पुत्र हजारी
14. अनिल पुत्र हजारी
15. रवि पुत्र सुरज
16. सविता पुत्री सुरज
17. कविता पुत्री सुरज समस्त जातिगण रेगर निवासी ग्राम नांदला तहसील नसीराबाद जिला अजमरे।
18. उप—पंजीयक नसीराबाद
19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।
20. पांचूलाल पुत्र छोगा आयु 74 वर्ष जाति रेगर निवासी ग्राम नांदला तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर, विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.10.2024 राजस्व वाद संख्या 77/21

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 9, 11 से 17
3. श्री अमित कसोटिया अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10
4. श्री सीताराम रावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 20
5. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 18 व 19

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः— 13.02.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 77/21 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 20 की ओर से राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का काउन्टर वाद प्रस्तुत किया गया साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। उभयपक्षक की बहस सुनते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है इकरारनामा अपंजीकृत है तथा अप्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है जबकि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त सहखातेदार दर्ज चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के काउन्टर प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2024 को खारिज किया गया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 77/21 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर कथन किया व निम्न दस्तावेजों को हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। दावाकृत भूमि के संदर्भ में राजस्व मण्डल न्यायालय अजमेर द्वारा अलग–अलग निर्णय पारित किए गए हैं जो प्रस्तुत किए जा रहे है न्याय निर्णय हेतु आवश्यक है। राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी संवत 2041 प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें काश्त अंकन है तथा किरायानामा, बिजली बिल, फोटो पेश है, मौका पर्चा, आर0ए0ए0 का निर्णय, कलेक्टर कोर्ट निर्णय पेश है। उक्त दस्तावेज वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित दस्तावेज है जो न्याय निर्णय में सहायक है। अतः उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात किसी भी रूप में न्यायिक दस्तावेज नहीं होने से प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में निर्णय हेतु किसी प्रकार सारवान है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी रूप से लोक दस्तावेज नहीं है जिनकी सत्यता स्वयं प्रार्थी द्वारा साबित की जानी है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्टस् संख्या 20 की पुश्तैनी कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम नान्दला में स्थित है जिसपर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 20 मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 20 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष पेश राजस्व वाद व राजस्व प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा कान्उटर क्लेम व कान्उटर टी. आई प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मे अपीलांट 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 के नाम गलत रूप से दर्ज हिस्से में से 1/2 हिस्से पर पूर्वजों के समय से अपीलांट काबिल काश्त है उक्त 1/2 हिस्से की उदघोषणा हेतु काउन्टर वाद व काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया था वाद व काउन्टर वाद अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है जिसका अंतिम रूप से निस्तारण होना बाकी है अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर मकान व बाडे बनाकर लाईट कनेक्शन सहित निवास पूर्वजों के समय से ही आज दिनांक तक रहते आ रहा है तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के काउन्टर प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। वादग्रस्त भूमि को लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 के पूर्वजों द्वारा पूर्व में भी एक वाद 25/1993 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया था जो आपसी सहमति से दिनांक 29.6.2001 सहमति राजेनामें से विड्रो कर लिया गया तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पक्ष में एक पारिवारिक सहमति बेचाननामा दिनांक 7.6. 2001 लिखकर दिया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 20 का ही हक अधिकार है तथा वादग्रस्त भूमि पर शुरू से ही अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 20 का ही पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त रहा है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 के पूर्वज तथा उनके वारिसान किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं जतायेगें। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदु अपीलांट के खिलाफ तय करते हुए अपीलांट का काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने सहमति बंटवारा इकरारनामा को स्वीकार करते हुए अनरजिस्टर्ड होने के आधार पर जवाब मे आपत्ति कर रहे है उक्त आपत्ति में अनरजिरटर्ड दस्तावेजों को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया है। पक्षकारों के हक अधिकारों का निस्तारण बाबत् नियमित राजस्व वाद उपखण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष विचाराधीन है जिसका अंतिम रूप से निस्तारण होना बाकी है। यदि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त भूमि का रहन बेचान मुन्तकिल हो जाता है तो अपीलांट को काफी परेशानी होगी तथा अपीलांट का वाद प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। क्योंकि पक्षकारों के हक अधिकारों की घोषणा तो विचाराधीन वाद में ही की जा सकती है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति के बिंदु को ही देखा जाता है। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में अधिकारों को तय नहीं किया जा सकता। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण के निर्धारण के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। जैसा कि आर0बी0जे0 (23) 2016 पेज 468 न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि विवादित विषय वस्तु का विद्यमान दशा में मूल वाद के निस्तारण तक सुरक्षित रखना चाहिए था जैसा आर0आर0टी 2018(1) पेज 156 एस0सी0 में प्रतिपादित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत विधि निर्माताओं की मंशा है कि वाद के तथ्य यदि बहस लायक है तो विवादित आराजीयात की यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए अन्यथा आराजीयात की किस्म बदल जाएगी व इससे कई प्रकार की कार्यवाही व कानूनी पेजीदगियां बढ जाएगी जैसा कि आर0बी0जे (26) 2019 पेज 129 में प्रतिपादित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटस की पुश्तैनी भूमि को लेकर प्लीडिंग में विरोधाभाष है जहां पर पक्षकारों की प्लीडिंग में यदि विरोधाभाष हो और जिसका निस्तारण होना बाकी है तो दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यथास्थिति का आदेश दिया जाना चाहिए जैसा कि आर0आर0डी 1993 पेज 206, आर0एल0आर 1988(2) पेज 871, आर0बी0जे (23) 2016 पेज 360 में प्रतिपादित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स द्वारा किसी प्रकार का काउन्टर क्लेम व काउन्टर टी0आई0 पेश नहीं की गई है जब तक प्रतिवादी/रेस्पोडेंटस ने काउन्टर क्लेम, क्रास ऑब्जेक्शन पेश नहीं किया तो केवल मात्र विशेष कथन में अपना कब्जा बताते हुए वादी द्वारा अपने कब्जे में हस्तक्षेप करने के आधार पर ही प्रतिवादी/रेस्पोडेंटस को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आर0आर0टी 1996 पेज 100 में न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 77/21 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2024 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए है– 2018(1)आर0आर0टी 156 एस0सी0, 2018(1) आर0आर0टी0 159 राजस्थान एच0सी0, 2016 आर0बी0जे0 360 राजस्थान एच0सी0, 2019 आर0बी0जे0 129, आर0आर0डी0 1993 पेज 206, 2016 आर0बी0जे0 468, आर0आर0डी 1996 पेज 100.

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 17 ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि आराजी मुतनाजा मृतक सुण्डा के 4 पुत्र क्रमशः छोगा, सुवा उर्फ सवाई, हजारी व नारायण की है, जिनके वारिस प्रार्थी,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 से 17 व 20 है। उक्त आराजी का कुल रकबा 30-4-0 है। उक्त आराजी का विभाजन किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 20 द्वारा खसरा संख्या 1106 रकबा 0.73 को बिना किसी अन्य पक्षकार की सहमती/सम्मति के तथाकथित रूप से मेसर्स विष्णुप्रकाश आर पुगलिया को किराये पर दे रखा है व किराया राशि प्राप्त कर रहे है। प्रार्थी अविभाजित आराजी पर अप्रार्थी को पाबंद किये जाने का अधिकारी नही है। आराजी मुतनाजा के साथ खसरा नम्बर 1241 का उल्लेख नही किया गया है। उक्त आराजी बाबत पूर्व में भी विभाजन हेतु वाद पेश किया गया था। जिसका निर्णय दिनांक 13.04.1993 को किया जाकर अपील का निस्तारण दिनांक 27.12.1997 को राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा किया जा चुका है। उक्त प्रार्थना पत्र पूर्व न्याय के सिद्वान्त से विधि द्वारा वर्जित है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 20 ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी व जवाबकर्ता के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 11 व 13 से 17 के पूर्वज नारायण द्वारा अपनी पुश्तैनी भूमि में दावाकृत भूमि का बंटवारा व इकरारनामा दिनांक 7.6.2001 को लेखबद्ध कर प्रार्थी व जवाबकर्ता के पक्ष में भूमि का विवाद मुकदमा निस्तारण के समय कर दिया। आराजी मुतनाजा के मालिक व स्वामी प्रार्थी व जवाबकर्ता चले आ रहे है। अतः प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी व जवाबकर्ता को खातेदार दर्ज किया जावे अप्रार्थी संख्या 1 से 17 को पाबंद किया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

10. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। ***अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए आदेश में वर्णित किया गया कि ग्राम नान्दला के खाता संख्या 475/390 किता 9 रकबा 4.62 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी संख्या 20 का प्रति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।***

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विनिश्चित करने के तीन मूलभूत बिंदु है यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति। हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों बिंदुओं का विश्लेषण निम्नानुसार है–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है जिसका आज दिनांक तक विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। चूंकि सभी सहखातेदार है व बिना बंटवारे के सभी सहखातेदारन का आराजी की प्रत्येक इंच पर कब्जा निहित है। यदि अप्रार्थीगण को उक्त आराजीयात पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तो अप्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा। चूंकि ***सभी सह हिस्सेदार का अविभाज्य आराजी के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना गया है***। अतः प्रथम

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

दृष्टया प्रकरण प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में सिद्ध न होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में बनना पाया जाता है।

सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुए युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग करते हुए ही सुविधा का संतुलन तय किया जाना चाहिए चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में सिद्ध नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। अतः सुविधा का संतुलन बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण तय किया जाता है।

अपूर्णीय क्षति :– वादग्रस्त आराजीयात जो कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जाकर यदि पाबंद किया जाता है। ऐसी अवस्था में अपीलांट की बजाय रेस्पोडेंटस को भारी तुलनात्मक असुविधा होगी। प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत किस प्रकार क्षति कारित होगी, इस बाबत कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपूर्णीय क्षति का विंदु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों मूलभूत बिंदु यथा प्रथग दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति रेस्पोडेंट्स के पक्ष में पूर्णतया सिद्ध होते है।

"जब कोई सहभागी अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवेदन करता है तो क्योंकि एक सहभोगी का कब्जा सभी का है, अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जानी चाहिए (1969 आर0आर0डी0 478 इशरिया बनाम हरिया)"

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय न्याय संगत होने व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्णतय चस्पा होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

11. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 77/21 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13/02/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner